फर्द अहकाम

कैलाश बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 24/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	24/10/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाबदावा हेतु दिनांक 05/12/24 को पेश हो।
	5/12/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप०। पत्रावली वास्ते जवाबदावा हेतु दिनांक 10/12/24 को पेश हो।
	10/12/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक द्वारा [illegible] कार्य स्थगित करने के कारण कार्य[illegible] ही की जा सकी। पत्रावली दिनांक 23/12/24 को पेश हो।
	23/12/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 बावजूद सम्यक तामील लगातार अनुपस्थित है अतः प्रतिवादी सं. ① के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादी अधिवक्ता ने साक्ष्य पेश नहीं करके सीधे वादपत्र पर अंतिम बहस करने निवेदन किया। वादी अधिवक्ता की वादपत्र पर एक पक्षीय अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने के उपरान्त वादी का वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

फर्द अहकाम

प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 24/2024 सहायक कलक्टर, बस्सी

कैलाश बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर बस्सी जिला – जयपुर ग्रामीण	

अंतिम डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी शिप्रा जैन (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. कैलाशचन्द शर्मा पुत्र बालूराम जाति हरि. ब्राहमण निवासी ग्राम अखैपुरा तह.बस्सी जिला जयपुर।	बनाम	1. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर जरिये आयुक्त, रामकिशोर व्यास भवन, इन्द्रा सर्किल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राज.।

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

मुकदमा नम्बर 24 / 2023

वादी का वादपत्र बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाता है तथा प्रतिवादी को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि राजस्व ग्राम अखैपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर की सरहद में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1/1 रकबा 0.3541 हैक्टेयर से प्रतिवादी बिना विधिक प्रकिया अपनाये वादी को बेदखल नहीं करे तथा वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे-काश्त, उपयोग व उपभोग में बाधा, हस्तक्षेप, मजाहमत नहीं करें और न ही अपने एजेण्ट, सर्वेण्ट, प्रतिनिधि इत्यादि से बेदखल एवं बाधा उत्पन्न करावें।........निजी..................मुबलिक......................बाबत.......................................खर्चा....................................इस मुकददमें का मय सूद वगैरह..................फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक..........................को अदा करें।
बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 23.12.2024 को जारी किया गया।

दस्तखत......................................
सहायक कलेक्टर
बस्सी जिला – जयपुर ग्रामीण

मोहर

ओहदा..

मुददई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण